सत्यमेव जयते
Web ... Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2018 **दायर तारीख** 05.01.2018

1. वनचारी होटलस प्रा॰लि॰ सी–34 ग्रीन पार्क नई दिल्ली निदेशक कृष्णदत्त यादव पुत्र जीतसिंह यादव निवासी ग्राम पोस्ट सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

<u>*—: अपीलान्ट*</u>

<u>बनाम</u>

1. ग्राम पंचायत आंतेला जरिए सरपंच ग्राम पंचायत आंतेला तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर,जिला जयपुर

<u>**— रेस्पोडेन्टस**</u>

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत आंतेला तहसील विराटनगर बाबत निरस्त किये जाने नामान्तकरण संख्या 188 एवं 189 दिनांक 20.06.2013

उपस्थित :– श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय दिनांक :– .22.03.2018</u>

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 04.12.2012 को ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3936/3018/0.06, 3935/3019/0.67, 3937/3010/0.32 हैक्टेयर मे से 0.22 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3024/0.01, 3934/3026/0.05, 3933/3025/0.05 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 10600 वर्गमीटर जिसमें 527 वर्गमीटर मे टीन शैड लगा हुआ है, यह सम्पूर्ण भूमि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आदेश राजस्व/2012/590–596 दिनांक 18.06.2012 द्वारा कृषि आधारित उद्योग में संपरिवर्तन हो चुकी थी को मय बोरिंग, नींव सींव, डोल, पोल, पानी तमाम बाहरी भीतरी मालिकाना हक हकूक सहित को मुबलिग 1,00,00,000/–रूपये में जरिए विक्रय पत्र खरीद किया है। इसी प्रकार से अपीलान्ट ने जरिए विक्रय पत्र आराजी खसरा नम्बर 3018/0.03, 3019/0.26, 3010/0.18, 3026/0.01, 3025/0.02 हैक्टेयर भूमि कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर जिसमें 253 वर्गमीटर मे आर.सी.सी. का

Web Copy Not Official

पक्का निर्माण एवं एक बोरिंग है तथा शेष खाली है एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आदेश क्रमांक : राजस्व/2012/597–602 दिनांक 18.06.2012 द्वारा कृषि आधारित उद्योग में संपरिवर्तन हो चुकी है को 36,00,000/–रूपये में खरीद किया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत आंतेला ने नामान्तकरण संख्या 188, 189 दिनांक 20.06.2013 से तस्दीक किया, जो अपीलान्ट के विक्रय पत्रों की अनदेखी कर मनमाने रूप से तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत को केवल कृषि भूमि से संबंधित नामान्तकरण का अधिकार प्राप्त है, जबकि अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। यह भी कि विक्रय पत्रों मे स्पष्ट अंकित है कि अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि कृषि आधारित उद्योग एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है, जिसका नामान्तकरण तस्दीक नहीं हो सकता है, बावजूद इसके ग्राम पंचायत ने गलत नामान्तकरण तस्दीक किया जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 188, 189 दिनांक 20.06.2013 को अपास्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 188, 189 दिनांक 20.06.2013 ग्राम पंचायत आंतेला, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2012 आदि पेश किये गये।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब रहा कि विवादित नामान्तकरण पूर्व सरपंच के कार्यकाल में तस्दीक हुआ है तथा ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 20.06.2013 को ग्राम पंचायत की पाक्षित बैठक नहीं हुई है।
5. बहस वकील अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस रही कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि कृषि आधारित उद्योग एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है'' के तथ्य की जानकारी होने बावजूद गलत नामान्तकरण तस्दीक किया जो खारिज किये जाने योग्य है
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट जाहिर है कि ग्राम गांधीनगर के 3936/3018/0.06, 3935/3019/0.67, 3937/3010/0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3024/0.01, 3934/3026/0.05, 3933/3025/0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3018/0.03, 3019/0.26, 3010/0.18, 3026/0.01, 3025/0.02 हैक्टेयर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि है तथा अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि कृषि आधारित उद्योग एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर नामान्तकरण संख्या 188, 189 दिनांक 20.06.2013 से तस्दीक किया, जो अपीलान्ट के विक्रय पत्रों की अनदेखी कर मनमाने रूप से तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत को केवल कृषि भूमि से संबंधित नामान्तकरण का अधिकार प्राप्त है, जबकि अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त निर्णय स्पेकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य पाता हूॅ। अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। ग्राम पंचायत ने बिना तथ्यों की जांच किये रिकार्ड व मौका के विपरीत हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक किया हैं, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। हस्तगत नामान्तकरण स्वीकार होने से अपीलार्थी के अधिकार प्रभावित हुए है। नामान्तकरण के समय अपीलार्थी का सुना जाना भी नहीं पाया जाता है। अतः अपीलान्ट की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूॅ।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत के नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 188, 189 दिनांक 20.06.2013 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार विराटनगर को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि विक्रय पत्रों एवं संपरिवर्तन आदेशों की जांच कर विधि सम्मत तरीके से राजस्व विभाग के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही संपादित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार विराटनगर को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर